

न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

मिसल नं०:- 19/19

निर्णय दिनांक: 29.11.19


अनवान:- स्टेट जरिये प०ह० किलचु देवडान बनाम सोहनराम पुत्र श्री डालाराम जाति सांसी निवासी सुरधना पडिहारान

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का किलचु देवडान ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 2076 में गैर सायल सोहनराम पुत्र श्री डालाराम जाति सांसी निवासी सुरधना पडिहारान ने ग्राम सुरधना पडिहारान के खसरा सं० 181 के तादादी 0.16 हैक्टेयर क्षेत्रफल में नाजायज रूप से मकान बना कर राजकीय गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया एवं नियमानुसार तामिल कराया गया। गैर सायल न तो उपस्थित हुआ तथा न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि स्पष्टतया गै०मु० गोचर भूमि है। जिससे स्पष्ट होता है कि गैर सायल द्वारा जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है।

गैर सायल द्वारा सुरधना पडिहारान के खसरा सं० 181 के तादादी 0.16 हैक्टेयर क्षेत्रफल में नाजायज अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा-91 के प्रावधानों के अनुसार सोहनराम पुत्र श्री डालाराम जाति सांसी निवासी सुरधना पडिहारान ने ग्राम सुरधना पडिहारान को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं 0.16 हैक्टेयर पर भू-राजस्व की रकम रू० 0.24 का 50 गुणा कुल राशि 12 (बारह) रू० का तावान आरोपित किया जाता है। उक्त अतिक्रमण को हटाने, अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने, फसल कुर्क व नीलामी हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त देशनोक तथा पटवारी प०ह० किलचु देवडान को आदेश दिया जाता है। अतिक्रमी को राजकीय गै०मु० गोचर भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।


नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर